

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़  
(पीठासीन अधिकारी जमवारामगढ़)

पीठासीन अधिकारी :- जमवारामगढ़

उनवान  
1. हनुमान सहाय बुनकर पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ बुनकर निवासी ग्राम भानपुरकला तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

बनाम  
1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ़ जिला जयपुर व अन्य 1 कस।

दावा बाबत :- घोषणा एवं दुरस्ती इन्द्राज

मुकदमा नम्बर :- 35/2019

निर्णय दिनांक :- 14.09.2019

वादी की ओर से एडवोकेट रामकरण शर्मा की व प्रतिवादी की ओर से स्वयं की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14.09.2019 को (विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़ के समक्ष प्राथमिकता से निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि :- पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। राशन कार्ड, आधार कार्ड, ग्राम पंचायत भानपुरकला द्वारा आबादी का पट्टा स. 208 दिनांक 05.06.02 एवं रा.उ.मा. विद्यालय भानपुरकला की टी.सी. में वादी का नाम हनुमान सहाय पुत्र जगन्नाथ है नामान्तरण की कार्यवाही के तहत पप्पू पुत्र जगन्नाथ सहमत से किया गया होगा। अतः वादी का वाद को डिक्री किया जाता है तथा वादग्रस्त आराजीयात में वादी के नाम पप्पू पुत्र जगन्नाथ को हजफकर इनके स्थान पर हनुमान सहाय पुत्र जगन्नाथ दुरस्त करने के आदेश तहसीलदार जमवारामगढ़ को दिये जाते हैं। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे। डिक्री जारी है। यह आज तारीख 14.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील			महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बबत्हजराय हुक्मनामा			बबत्हजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

(विश्वामित्र मीना)  
उपखण्ड अधिकारी  
जमवारामगढ़

